ORDER passed in Original Application No. 567/2024

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> Thu, Jul 11, 2024 01:42 PM

Subject : ORDER passed in Original Application No. 567/2024 2 attachments

To : Sh. RAJA CHATTERJEE Registrar <registrarngt-kolkata@gov.in>, Judicial Section <ngtjudicial-kolkata@gov.in>

Cc : ROR MoEFCC <ro.ranchi-mef@gov.in>, MS, CPCB <mscb.cpcb@nic.in>, contact@jsmdc.in, Shashi Ranjan <director-mines@jharkhandmail.gov.in>, ranchijspcb@gmail.com, Sri. Rahul Kumar Sinha IAS <dc-ran@nic.in>

Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the **Petition & Order dated 08/07/2024 passed in Original Application No. 567/2024 Lakhan Kumar Applicant Versus State of Jharkhand Respondent .** for your kind perusal & necessary action.

भवदीय / Regards

परामर्शदाता (न्यायिक) / Consultant (Judicial)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण / National Green Tribunal

प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench

नई दिल्ली / New Delhi - 110001

OA NO 567 of 2024 LP 2247-pages-deleted.pdf
307 KB

Lakhan Kumar.pdf
99 KB

115

Email

2247/WP/2023
10/10/23

Public Grievance

From : lakhankumar22@gmail.com — Tue, Oct 03, 2023 10:39 AM

Subject : a complain — 1 attachment

To : Public Grievance <publicgrievance-ngt@gov.in>, Administrative Section <admn.ngt@nic.in>

Cc : Deputy Registrar <dr.ngt@nic.in>, Registrar General <rg.ngt@nic.in>

complain to ngt new delhi khalari.pdf
124 KB

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,

नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NATIONAL GREEN TRIBUNAL),नई दिल्ली।

विषय :– राँची जिला के खलारी अंचल क्षेत्र में बालु पर रोक में सरकारी आदेश व एनजीटी के आदेश की अहवेलना करते हुए बालु का लगातार अवैध खनन व परिवहन जारी है तथा सभी कार्यान्वित योजना में सैकड़ों टन भंडारित कर उपयोग किया जा रहा है,इस पर सघन जाँच कर विधिक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि खलारी अंचल क्षेत्र के राय– चुरी स्थित सपही नदी, हेसालोंग दामोदर नदी, धमधमीया स्थित दामोदर नदी, लपरा चटटी नदी ,सलचनवा दामोदर नदी, डेगा डेगी नदी जोभीया से जेसीबी मशीन द्वारा खनन कर सैकड़ों ट्रैक्टर, टर्बो में भरकर कई बिना नंबर प्लेट के शाम के छः बजे से ही अवैध परिचालन शुरु हो जाती है और देर रात व कभी कभी दिन में ही भर अवैध बालू लेकर रॉची की ओर खलारी–रॉची मार्ग, मैक्लुस्कीगंज –रॉची मार्ग, राय– बुढ़मू मार्ग, मैक्लुस्कीगंज –चंदवा मार्ग आदि के रास्ते निकल जाते है। क्षेत्र के कई स्थानो में जैसे तुमांग धमधमीया, खलारी, हुटाप, मायापुर, केदल, हेसालौंग, लपरा, राय, बमने, पाही, चुरी, खलारी ,हेसालौंग,जोभीया आदि के जंगल में बालु भंडारित कर रात के अंधेरे में रॉची की ओर भारी वाहन द्वारा विभिन्न मार्ग से निकल जाते हैं। यही नहीं क्षेत्र में सभी कार्यान्वित सरकारी योजना में अवैध बालु पहुँचायी जा रही हैं और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है,सक्षम कार्यालय को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस अवैध परिचालन से सरकार को राजस्व मे भारी क्षति व पर्यायवरण को नुकसान हो रही है एवं जिसके लिये जिम्मेवार स्थानिय प्रशासन,अंचल व प्रखण्ड कार्यालय,खनन विभाग,वन विभाग सहित अन्य लोग हैं। इस तरह के अवैध खेल पर रोक नहीं लगने के कारण कई बार अखबारों ने प्रमूखता से खबर छापा है और मैने भी अभ्यावेदन भेज कर कार्रवाई की सूचना मॉगा लेकिन किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। यह अवैध खनन व परिवहन कई वर्ष से लगातार चल रहा है लेकिन इस बार एजीटी के आदेश को भी ताक पर रखकर लगातार जारी है। हालांकि अखबार में छपने के बाद कुछ दिन के लिये बंद कर औपचारिकता मात्र पुरी की जाती है और पुनः वहीं प्रकिया शुरु कर दी जाती है।

खलारी अंचल क्षेत्र के अंतर्गत राय स्टेशन से मैक्लुस्कीगंज स्टेशन मेन रेलवे लाइन के समिप रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य चल रह है जिसे लाखो करोड़ो टन मिटटी मूरम का उपयोग कर निर्माण किया जा रहा है जो राय वन भूमि (लगभग बीस एकड़),चुरी वनभूमि व गैरमजरुआ भूमि (लगभग बारह एकड़),चुरी होयर वनभूमि,मायापुर व लपरा वन भूमि (लगभग दस एकड़)से अवैध खनन जो लगभग 10 से 15 फिट तक गहरा कटाई व कही कहीं 20 फिट तक भी कर पहुँचायी जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को नुकसान पहुँचायी जा रहीं है। खनन करने के पूर्व लाखों पेड़ व परिवार को काटकर जड़ सहित हटायी गई है। इस अवैध खनन में रेलवे , कार्यरत निजि कंपनी, अंचल कार्यालय, वन विभाग, जिला खनन कार्यालय आदि शामिल है,इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

खलारी अंचल क्षेत्र के अंतर्गत राय से मैक्लुस्कीगंज मेन रेलवे लाइन में पुल न0 101 से 133 तक में निर्माण कराया जा रहा है जिसमे बालु संग्रह कर उपयोग किया जा रहा है,जब बालु पर रोक लगी हुई है तो निर्माण कार्य कैसे किया जा रहा है और कई पूल लगभग पूर्ण भी कर दिये गये है। इस अवैध खनन में रेलवे , कार्यरत निजि कंपनी, अंचल कार्यालय, जिला खनन कार्यालय आदि शामिल है,इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

खलारी अंचल क्षेत्र के अंतर्गत राय ,खलारी व मैक्लुस्कीगंज स्टेशनों में व उक्त लाइन के समिप कई रेलवे के स्टेशन हौल,क्वाटर व अन्य भवन का निर्माण कराया जा रहा है जिसमे लाखों करोड़ो टन अवैध बालु का उपयोग किया गया है। इस अवैध बाल भंडारण में रेलवे, कार्यरत निजि कंपनी, अंचल कार्यालय, जिला खनन कार्यालय आदि शामिल है,इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

खलारी अंचल क्षेत्र के अंतर्गत लपरा बुधबाजार व बक्शी बंगला के समिप निजि कंपनी द्वारा मिक्चर प्लांट लगाकर लगातार दो वर्ष से प्रत्येक दिन सौ टन से अधिक अवैध बालु व मिटटी जमा कर रेलवे के कार्य में भेजा जा रहा है ,इस अवैध बालु का भंडारण में रेलवे, कार्यरत निजि कंपनी, अंचल कार्यालय, जिला खनन कार्यालय आदि शामिल है,इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लपरा पंचायत में विरहोर आवास का निर्माण लगातार किया जा रहा है जहाँ अवैध बालु भंडारित कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस अवैध बालु भंडारग में अंचल प्रखण्ड कार्यालय, जिला खनन कार्यालय आदि शामिल है,इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

खलारी अंचल क्षेत्र के अंतर्गत लगभग एक एकड़ चुरी वनभूमि व अंश गैरमजरुआ जंगलझाड़ दर्ज भूमि (बिस्कर्मा मोड़ के समिप) पर फिल्टर प्लांट व चाहरदिवारी आदि का निर्माण, खलारी अंचल क्षेत्र के हेसालौंग बाजार (लपरा पंचायत) में फिल्टर प्लांट की पानी टंकी एवं लगभग एक एकड हेसालौंग/लपरा वनभूमि व अंश गैरमजरुआ जंगलझाड़ दर्ज भूमि पर फिल्टर प्लांट व चाहरदिवारी आदि का निर्माण, लगभग एक एकड़ तुमांग वनभूमि व गैरमजरुआ जंगलझाड़ दर्ज भूमि पर दामोदर नदी के समिप काटकर चेक डैम या इंटक वेल एंव फिल्टर प्लांट आदि का निर्माण, लगभग एक एकड़ चुरी वनभूमि मंगरदाहा दामोदर नदी के समिप काटकर चेक डैम या इंटक वेल आदि का निर्माण में अवैध बालु भंडारित कर निर्माण कार्य किया जा रहा है जो सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को

क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी,जिला खनन पदाधिकारी,रॉची,वन विभाग दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

ग्रामीण विकास विभाग,कार्य प्रमंडल,रॉची से बन रहे पथ चुनाभठठा पुरानी राय बाजार चौक बस स्टैंड भाया रतनलाल पेट्रोलपंप सरस्वति शिशु विद्या मंदिर से डकरा चौक तक 6.0 किमी पथ निर्माण (खलारी प्रखण्ड)में पड़ने वाली लगभग 3.0 किलोमीटर पीसीसी ढ़लाई की गई है जिसमे लाखो टन अवैध बालु भंडारित कर किया गया व जारी है पर जो सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

एनआरईपी–2,रॉची से बन रहे पथ **DMFT** योजना के तहत 1.खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के धवैइया टांड़ से लाइंस क्लब तक पीसीसी पथ निर्माण (चुरी पूर्वी पंचायत) ,2.खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के चुरी उत्तरी पंचायत में सुभाषनगर मे बाल विकास स्कूल के पास गोवर्धन पूजा स्थल होते हुए मुन्ना यादव के घर तक पीसीसी पथ निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि जो पुरी तरह से विशाल जंगल है पर जो सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची व वन विभग दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

एनआरईपी–1,रॉची से बन रहे पथ **DMFT** योजना के तहत 1.खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के बलथरवा में पाहन दाह से जतरु तुती के घर से होते हुए सुरेंद्र गंझू के घर तक पीसीसी पथ निर्माण ,2.खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के बलथरवा में सामुदायिक भवन से मड़ई स्थल होते हुए चरकु गंझू के घर तक पीसीसी पथ निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि पर जो सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

जिला परिषद,रॉची से बन रहे पथ **DMFT** योजना के तहत 1.खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के मायापुर पंचायत के हरहु मे ऐनम के घर से लेटु बांध तक पीसीसी पथ निमांण ,2.खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के मायापुर पंचायत के हरहु में बहेराखांड़ स्कूल से नदी साइट तक पीसीसी पथ निर्माण ,3.खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के विश्रामपुर पंचायत के पंचायत सचिवालय से डैम धौड़ा मोड़ तक पथ निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि है पर जो सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

रॉची जिले के खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के सभी पंचायत में पंद्रहवी वित आयोग का कार्य चल रहा है जिसमें सैकड़ो टन अवैध बालु का उपयोग किया जा रहा है प्र सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य नें जारी है।

जिला कल्याण विभाग रॉची से चार योजना खलारी प्रखण्ड के खलारी पंचायत में दो और एक योजना तुमांग व चुरी द0 पंचायत में कार्यान्वयन किया गया है जो निम्नलिखित है – 1 खलारी पंचायत के बलथरवा में सरना स्थल का चाहरदिवारी निर्माण आदि, 2. खलारी पंचायत के बलथरवा में धुमकुड़ीया भवन निर्माण और 3.तुमांग पंचायत के करकटटा बस्ती में सरना स्थल की घेराबंदी तिनो की भूमि वनभूमि का अंश व जंगलझाड़ दर्ज गैरमजरुआ भूमि है और 4.खलारी अंचल क्षेत्र के चुरी दक्षिणी में धुमकुड़ीया भवन का निर्माण कार्य चल रहा है जहॉ सैकड़ो टन अवैध बालु भंडारित कर निर्माण कार्य किया जा रहा है,इस पर जो सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

जिला परिषद,रॉची (डीएमएफटी) से खलारी प्रखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत रा0म0विद्यालय बुकबुका ,रा0प्रा0विद्यालय नवाडीह ,रा0प्रा0विद्यालय,मायापुर ,रा0प्रा0विद्यालय डुण्डू, रा0म0विद्यालय,करकटटा, रा0प्रा0विद्यालय बलथरवा ,रा0प्रा0विद्यालय,भूतन्गर, रा0प्रा0विद्यालय कोनका में से नया भवन,चाहरदिवारी,शैचालय आदि चल रहा है जो सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई नाह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

खलारी प्रखण्ड के लगभग सभी पंचायत विषेशकर लपरा, हुटाप, बभने, राय, खलारी, चुरी दक्षिणी, चुरी पूर्वी, विश्रामपुर, तुमांग,मायापुर में कार्यान्वित मनरेगा योजना सींचाई कूप में अवैध बालु का उपयोग कर कई माह से किया जा रहा है,इस पर सरकार के राजस्व में भारी क्षति व पर्यायवरण को क्षति पहुँचायी जा रही है जिसके लिये अंचल अधिकारी खलारी, जिला खनन पदाधिकारी,रॉची दोषी है, इन्हे सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कई माह से लगातार अवैध बालु का उपयोग निर्माण कार्य में जारी है।

सरकार व एनजीटी की बालु पर रोक आदेश के बावजूद अवैध बालु खनन व परिवहन तथा भंडारण कर राजस्व में भारी क्षति पहुँचायी गई व पयार्यवरण को नुकसान करने के लिये अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी राँची, वन प्रमंडल पदाधिकारी,राँची , वन्क्षेत्र पदधिकारी मांडर आदि के कार्यकाल में होना एवं अपने पद व शक्ति का दूरुपयोग किया गया। अतः निवेदन है कि उपरोक्त मामला को गंभीरता से लेते हुए दोषीयों पर की जानें वाली विधिक कार्रवाई की सूचना मुझे भी दी जाये।

सूचनाकर्ता
लखन कुमार
ग्राम व पो0—नवाडीह
भाया— मैक्लुस्कीगंज
जिला राँची,829208
मो0 9631710033
इमेल—lakhankumar22@gmail.com

Item No.01 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.567/2024

Lakhan Kumar Applicant

Versus

State of Jharkhand Respondent

Date of hearing: 08.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

ORDER

1. This original application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010'**) has been registered exercising *suo-moto* jurisdiction on a letter petition received on 03.10.2023 from Lakhan Kumar, Village & Post Navadih, Bhaya Masculiganj, District Ranchi alleging that rampant illegal mining is being carried on near Churi of Sapai River, Hesalong Damodar River, Dhamdhama located at Damodar River, Lapri Chatti River, Sulochana Damodar River and Dega Degi River by using heavy machines like JCB etc. Mining is being carried out in the forest area also and continuing in night hours with collusion of authorities who are responsible for prohibition, prevention and regulation but they are not discharging their statutory duties. Railway rack has been laid from Rai Station to Masculiganj Station for which huge quantity of morrum has been excavated in an illegal manner from land, substantial part whereof belong to forest department. Similarly, for construction of bridges no.101 to 133

of aforesaid railway line, huge quantity of sand has been excavated illegally. Lots of other infrastructure activities have been referred for which it is said that large scale illegal mining has been carried out.

2. In our view allegations made in the letter petition, prima-facie, do constitute substantial question relating to environment raising out of implementation of enactments mentioned in Schedule 1 of NGT Act, 2010 but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to have the facts verified for the purpose, thereof, we constitute a Joint Committee comprising following:

(i) IRO, MoEF&CC, Ranchi;

(ii) Central Pollution Control Board;

(iii) Director Mining and Geology, Jharkhand;

(iv) Jharkhand Pollution Control Board;

(v) District Magistrate, Ranchi.

3. District Magistrate, Ranchi shall be nodal agency for coordination and compliance.

4. Said committee shall visit the concerned area, collect relevant information and submit a factual report within two months.

5. Since the matter relates to State of Jharkhand, it comes under the jurisdiction of Eastern Zone Bench, Kolkata of this Tribunal. The report by the Joint Committee shall be submitted to Registrar, Kolkata Bench.

6. Registry is also directed to transmit records of this original application to Eastern Zone Bench, Kolkata of this Tribunal for further proceedings.

7. List on 12.09.2024 before the appropriate Bench.

8. A copy of this order be forwarded to IRO, MoEF&CC, Ranchi, Central Pollution Control Board, Director Mining and Geology, Jharkhand, Jharkhand Pollution Control Board and District Magistrate, Ranchi by email for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 08, 2024
OA No.567/2024
JG.